योजना की पात्रता लागू की गई है और यह कब से लागू की गई है;

(ख) कर्मचारियों की भविष्य निधि में प्रति-वर्ष कितनी धनराशि काटी गई तथा वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा की गई;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि में प्रतिवर्ष पूरी धनराशि जमा न करने वाले प्रबंधनों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है; और

(घ) 30 नवम्बर, 1995 तक भविष्य निधि की राशि जमा न करने के दोषी प्रबंधनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण अनुपत्र में है [देखिए परिशिष्ट 178 अनुपत्र सं० 13]

(ग) भविष्य निधि की धनराशि की अदायगी में चूक करने वाले प्रबंधनों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है तथा धारा 14ख के अंतर्गत हर्जाना भी लगाया जा सकता है। कर्मचारियों के भविष्य निधि अंश से संबंधित चूक के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाइयां की जाती हैं।

(घ) एक मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 14 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन भी चलाया है। एक अन्य मामले में इस अधिनियम की धारा 7अ के अंतर्गत जांच-पड़ताल प्रारम्भ की गयी है।

Production & Demand of Sugar in Current Year

236. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether production of sugar is likely to meet its demand during the current year, in the country;

(b) if not, the likely shortfall; and

(c) the steps Government have taken/ propose to take to meet the demand?

THE MINISTER OF FOOD AND THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

नए व्यापार सुधारों को लागू किया जाना

237. श्री अजीत जोगी:
श्री एस० एस० सुरजेवालाः

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नए व्यापार सुधार को लागू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या निर्यात-आयात नीति में भी कुछ संशोधन किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (घ) वर्तमान निर्यात और आयात नीति 31 मार्च, 1997 तक की अवधि के लिए है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्यात और आयात नीति बनाते वक्त ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य उद्देश्यों में से एक है निर्यातों की तीव्र वृद्धि की आवश्यकता तथा इस उद्देश्य से नीति और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत तथा सरल बनाना।

भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत धान खरीद केन्द्र

238. श्री एस० एस० सुरजेवालाः क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत धान-खरीद केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) खरीफ विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य